लालाराम v/s घ्ट

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	7/1/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/1/24 को पेश हो।
	18/1/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/1/24 को पेश हो।
	29/2/24	पत्रावली पेश नहीं। पी0ओ0 साहब अन्य [illegible] में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/3/24 को पेश हो।
	14/3/24	पत्रावली पेश नहीं। पी0ओ0 साहब अन्य [illegible] व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/4/24 को पेश हो।
	18/4/24	पत्रावली पेश नहीं। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/4/24 को पेश हो।
	24/4/24	पत्रावली पेश है। वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। अभी तक भी कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद नियम 21 नियम 9 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली में अब कुछ शेष नहीं। पश्चात् कोई वाद लम्बित नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर [illegible] (सांगानेर)